65

Cedure and Conduct of Business in Lok Sabha,. I am directed to enclose the Lighthouse (Amendment) Bill, '985, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 26th August,

Madam, I lay a copy of the Lighthouse (Amendment) Bill;, 1985, on the Table.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI-MATI KANAK MUKHERJEE) : Now, we shall continue the discussion on the Railway Protection Force (Amendment) Bill, 1985. Mr. Thakur Jagatpal Singh

THE RAILWAY PROTECTION FORCE (AMENDMENT) BILL, 1985 -CONTD.

ठाकर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसमापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बादरणीय रेल मंत्री जी को वधाई देना चाहता हं। वह जो बिल लाए हैं वह बहत ही अच्छा बिल है क्योंकि आज आप देखते हैं कि रेलवे में ज्यादा से ज्यादा चोरियां और काइम्स हो रहे हैं। इसकी रोकने के लिए यह जरूरी था कि इस तरह का बिल ग्राता जिसमें ज्यादा ग्रधिकार दिये जाते।

मैं इस संबंध में एक शेर से श्रुरू करना चाहता हं कि --''कक्तियां ड्व जातीं हैं उनकी,

जिनकी पतवारों में कमी पाई जाए"। ग्राज मल्लाह कितना भी ग्रच्छा हो, किश्ती कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसकी ग्रगर पतवारें कमजोर होती है, तो वह किन्तियां डुब जाती हैं।

ग्राज जो बिल ग्राया है, उस बिल के माध्यम से उन्हें जो अधिकार दिए जा रहे हैं अधिकारियों के लिए वह बहत जरूरी थीं । मैं ग्रामी सुन रहा था, हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि उन्होंने ट्रेड युनियन के यंदर बैन नयों कर दिया है ?

मैं उनसे एक बात पछना चाहता हं कि जब जब फोर्स के बारे में यह 951 RS-3

वातें कही जाती, हैं, तो उस वक्त हमेशा यह बात उठाई जाती है, वया कारण है उसका ? जरा सोचिए इस गहरे सवाल को कि अगर उन्हें देड युनियन के राइट्स दिये जाते हैं, तो अगर हमारा बल उक्तमें फं कर प्राज युनियन का ज्यादा तन।व देखते हैं, एक हथियार बनाया हथा है इम्पलायर हो, इम्पलाइयीज हो--केवल इम्पलायर को मारने के लिए ट्रेड यूनियन का काम होता है, इम्पलायर ग्रीर इम्पला-यीज दोनों का समन्वय कर दोनों के वैलफेयर को देखें। लेकिन आज आप दूसरी जगह भी देखते हैं कि कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, आज किस तरह से हमारा प्रोडक्शन गिराने के लिए कुछ यह ताकतें जो दुनिया के ग्रंदर नहीं चाहतीं कि हिन्दुस्तान ग्रागे जाए, उसका प्रोडक्शन बढ़े ग्रलग-ग्रलग तरीकों से कुछ देड यनियनों के माध्यम से स्ट्राइक करके उस प्रोडक शन को गिराना चाहती हैं।

इसी तरह ला एण्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिए धगर वह पावर्ज दी जाती है, तो उसमें बुराई क्या है? उनके और दूसरे माध्यम है, जो एडमिनि-स्ट्रेटिव माध्यम हैं, उनसे अपनी सहुलियतें ले सकते हैं लेकिन मैं एक बात आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हं कि घाज रेलवे में जो जी० ग्रार० पी० है उसे भी द्याप इसके कण्टोल मुलें क्योंकि जी०ग्रार० पी० जैसे मेरे एक साथी ने कहा था कि जितने भी लोग उसमें भेजे जाते हैं, वह ऐसे लीग भेजे जाते हैं जोकि लोकल पुलिस में या तो कन्डैम कर दिये जाते हैं. या किन्हीं कारणों से उन्हें वहां रखना नहीं चाहते। तो अगर उसको अकन्टोल में ग्राप लेगें तो ग्राज सब से वड़ा झगड़ा जो जी० ग्रार० पी० में ग्रीर प्रोटेक्शन फीसं में चल रहा है, ग्राप देखें लाखों-करोडों की चोरियां वैगंस में हो रही हैं माल-गोदाम के ग्रंदर, चोरियां हो रही हैं, पार्सल तोड दिये जाते है ग्रीर माल का बंटवारा हो जाता है।

तो मैं ग्रापसे जिनती करूंगा कि भ्राप उस तरफ जरूर घ्यान दें।

[ठाक र जगतपाल सिह]

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि
जो आपका रेकूटमेंट हों वह रेलवे
कर्माणन के माध्यम से नहीं होचा चाहिए।
उसके अंदर ज्यादातर आप ऐसे लोगों
को जें कि जो या तो मिलिटरी से कम
एज में अलग कर दिए गये हों, बी०
एस० एफ० के हों, आर० एस० एफ० के
हों या सी० आई० एस० एफ० के हों,
जो रिटायर हो जाते हैं क्योंकि उनको
अगर ग्राप लेंगे तो उनमें वह किमयों कम
हो आएंगी जो किमया आज देखने में
याती है।

दूसरे उनको फैसिलटी देना प्रापको बहुत जमरी है। प्राज प्रापके पास किततें स्वार्टर हैं? ग्राप क्यों नहीं और बहाना बाहते। ग्राज उनके लिए प्रकृत नहीं हैं, प्रस्पताल नहीं है। तो यह चीजें सब से पहले करनी होंगी और हजारों लोगों की कमी जो ग्राज रेसवे प्रोटक्शन फोर्स में है उसे ग्राप पूरा करें।

मैं कुछ सुझाव ग्रापको देना चाहता हूं। ग्राज रेलवे में पेसेंग्रर के मालों की बोरी हो रही है, रेलवे प्रापर्टी का बहुत हा दुक्पयोग भी हो रहा है ग्रीर चोरियां भी हो रही हैं, पामल ग्राफिसेंग्र के ग्रन्दर करोड़ों का माल चोरी जाता है था बंटवारा इस तरीके से किया काता है। बैगंस गार्ड में खड़ी होती है, माल चुराया जाता है। श्रूगर एस०श्रार०पी० वालों उनको रोकते हैं तो जी०ग्रार०पी० वालों में ग्रीर उनमें कनफ्लिक्ट होता है। इसलिए यह यब फोसे एक कमाण्ड में ग्राना चाहिए। मेरी एक राय ग्रापके लिए यह है।

दूसरी, रेलवे में जो चोरिया होती हैं, अगर वहां चोरी होती हैं और जो कण्ड़क्टर है या जो भी अटैण्डेंट है उससे अगर कहा जाता है तो वह कहता है कि साहब चार गेंट हैं, मैं एक तरफ बैठता हूं दूसरी तरफ से सामान निकल जाता है। मेरा सुझाव है कि रात को तीन तरफ के गेट्स में ताला लग जाना चाहिए, केवल जहां अटैंडेंट बैठता है, वह गेट खुला रहना चाहिए।

तीसरे, जितने बैरे था जितने इलैक्ट्रिशंस या दूसरे इम्पलायीज हैं, उनके नाम और उनका नम्बर उन पर लिखा रहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जो चोरियां होती हैं, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जात हुआ है कि वगैर रेलवे इम्पलायीज के और वगैर रेलवे के लोगों के मिले हुए नहीं होती हैं।

-चीथे, मैं अपना सुझाय दंगा कि जब रेलवे में कहीं पर भी चेन खिचती हो तो क्या कारण है कि प्रोटैक्शन फोर्स के आदमी बाहर नहीं आतें ? उत्से मैंने रिष्ठा - क्योंकि बोडी लाईट की वजह से उन्हें वाहर दिखाई नहीं देता. तो जब गाडी की चेन खिच जाए तो गार्ड ग्रीर इंजिन के दोनों तरफ एक-एक सर्चलाईट होनी चाहिए जो इमिजेटली सर्चलाईट खोल देनी चाहिए। जिससे किं वे लोग देख संकें कि कीन भाग रहा है और कीन क्या कर रहां है। क्योंकि अधेरा होने के कारण वे कुछ करना भी चाहते है तो भी नहीं कर सकते हैं। भैं समझना हं कि सरकार की इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि गार्ड के दोनों साइड में एक-एक सर्जनाइट हो ग्रीर इंजन डाईवर के दोनों तरफ भी सर्चलाईट हो। जब गाडी में चेन सीची जाए था फिर वह गाडी खडी हो' तो उसी बक्त वह लाइट खोल देनी चाहिए। दूसरा जितने ग्रधिकारी हैं उनकी आप देखें कि वे कभी सरप्राइज विजिट करते है या नहीं। कभी उन्होंन वहां जाकर सब कुछ चैक किया है या नहीं ग्राप कम से कम कुछ परसेंटेज फिक्स कीजिए कि इतनी सरप्राइज विजिट हों और वे गाडियों. के अन्दर देखें कि वहां पर लाइट ठीक है या नहीं और लाक ठीक है या नहीं ? चोरियों का सर्व स वड़ा कारण वहीं है। स्रीर वहां वो बैरे घमत है वे भी चोरियां करते है। इस पर भी आप ध्यान दें।

मैं एक बात ग्रीर कह देना चाहता हं कि ग्राप कृपा करके इतना जरूर ध्यान रखें कि ग्रगर हमारे कर्मचारी जो वहां काम करते हैं ग्रगर उनको प्रोपर फैसिलिटीज दी जाएं तो वे ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकेंगे। जो लोग अच्छा काम करें उनको म्राप रिवार्ड दीजिए। जो गलत काम करते हैं उनकी केवल टांसफर ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए । ग्राप यह भी देखें कि कितनी चीरियां हुई हैं और कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोगों को डिसमिस किया गया। हमारे इसरे सदन की महिला सदस्य जब घभी गाडी में जा रही यी तो उनके कंपार्टमेंट के ग्रन्दर से गेट खोल कर नोर घस गए। जब उन्होंने झावाज दी तो एक भी सिपाही या कोई स्रादमी वहां पर नजदीक , नहीं द्याया। मैं द्यापसे विनती कहंगा कि जो बर्टेंडेंट वहां पर गाडियों में होते हैं वें वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं। ग्राप जाइए ग्रीर देखिए कि वह क्यों नहीं है। पूछते हैं कि क्यों नहीं है तो

If the eyes and cars are corrupt, then they can be purchased by any agency.

कहते हैं कि साहब, नहीं ग्राया । क्या

कभी चैक किया है कि फर्स्ट क्लाल के

कंपार्टमेंट में कितने अटैडेंट हैं और वे

ब्राते हैं या नहीं ब्राते हैं, ब्रगर नहीं बाते

हैं। तो क्यों नहीं ग्राते हैं धगर उनकी कमी

है तो उन्हें बढ़ाना चाहिए । मैं आपसे

केवल इतना कह देना चाहता हं :

तो काम सही नहीं होगा और भाज हमारी आईज एंड ईवर्ज करण्ट हो चुकी हैं। केवल मुझे इतना हो कहना है। अंत में मैं बधाई देता हूं कि आप अच्छा बिल लाये हैं और इसमें फायदा होगा।

DR. SHANTI G. PATEL (Maharashtra): Madam, Vice-Chairman, the Minister, while recommending the Bill for its consideration in this House in a very brief speech of a few words, commented that this is a "small Bill". How small it is we will see later. But one thing is certain and its tentacles

a"re going far and wide and are engulfing a number of persons and properties.

Madam, let us see how small is? This particular force, the Railway Protection Force, operating throughout the country the railway network because engulfs the whole country. It has grown enormously in the last few years. It was 31000 in 1951-52 and it has grown to 70,000 by now. The expenditure which is incurred on"this particular force for its maintenance has risen Irom Rs. 13 crores to about Rs. 50 crores. It means an increase of 3-1/2' times. I am referring to it with a view to pointing out how important it is. I was therefore, expecting the Minister to throw more light as to what this force has been doing, how it has been functioning and what has been its record during these years.

I am referring to the report of the Railway Reforms Committee, also called' the Sarin Committee, which' had a occasion to go into this problem. The report is a recent one, published in 1983. What has it to say about the security in the railways? I quote from Introduction, page 1:

"The security environment on the railways has been steadily deteri" orating. The public and Parliament have naturally been concerned about the continuous increase in crime 'against the persons travelling by train and their property."

I am also referring to page (hi), paragraph 4 and I quote :

"The role of the Railway Protection Force which has been created for the protection of railway's own property and the property entrusted to it for carriage and which lies at railway installations has not been performed to any satisfactory standard."

I further quote from page 149, paragraph 12:

"Despite a substantial growth of Railway Protection Force, it is

[Dr. Shanti G. Patel]

difficult to say that it has achieved its aims. The force has been ineffective and its performance lukewarm and sometimes eve retrograde despite organisational changes of a far-reaching nature and its being vested with some increased powers over the years."

Again, the Minister has thought it proper to invest this Force with some more powers. I have nothing to argue against it. As a matter of fact, may I ask the Minister whether these powers are going to serve the desired objective because this Committee to which I made a reference earlier has gone into details and has made a number of recommendations. May I have the attention of the Minister, Madam Vice-Chair. man? I was inviting the attention of the Minister because it is a very important Committee which has gone into details and made certain recommendations. May I know from •the Minister as to whether he had gone into these recommendations and which, of the recommendations have been implemented so far because unless this matter, this subject is approached in a scientific manner and the real remedies are applied, wo will always be hearing this complaint of thefts taking place and passengers being harassed while travelling by these-trains. So, it is very necessary that this particular Report is implemented at the earliest;

This Force is required to have a Primary role of protecting the railway Property or whatever is carried by the railways in the form of goods and other things, And the secondary role that is assigned to it is of escorting or even helping in checking ticketless travel and further also to help when there is alarm chain pulling, etc. etc. Is this Force equipped to cope with these particular responsibilities? May I tell you, with respect, that the powers which ought to be given arc not given through this bill. A little earlier, my friend, Mr. Sukul, referred to the dichotomy in the control of the protective force

comprises not merely of the which RPF but also what is called the GRP and also in certain cases the District Police. So, there is a broad control. There is no uniform controlling authority so that they can work for achieving the purpose. This is one basic reason, the root cause for non reduction in the rate of thefts or the I thefts that are taking place on the trains or the alarm chain pullings or offences of this particuler type. One thing that is necessary and needs to be done immediately is to have a uniform control and supervi-. sion over this particular Force. second thing that needs to be done is that on^r- has to assess the manpower requirements and also give them proper training. Are they properly trained? The Minister had nothing' to say except to say" that this is a "small Bill." Is the Force going to deliver the goods by just calling it Armed Force or vesting it with certain more powers ?• For example, now the power to arrest a person just on suspicion—mind you, just on suspicion has been given, I am afraid this power is going to be more misused than used for the purpose for which it is sought to be given. One has to be very careful in giving this power because on the platform there are a number of people moving bout apart from the yard. And there, if a person has just to be arrested on a suspicion, a number of complications and corrupt practices are going to follow.

Again, a reference has to be made to what, is necessary. Short of control, ther- has to be a proper coordination between the Railway Protection Force and the other Forces like the GRP and the District Police because once a theft is committed, immediately the persons concerned have to be contacted, and they are the persons who belong to the concerned State police force.

This co-ordination does not take place. Even it the Railway protection force cares to bring this to the notice of the authorities concerned, proper steps are not taken. If they are taken, they are not taken in

time. As a result the goods that have been thieved cannot be traced and the culprits can run away and can never be booked. This is the main difficulty which is there. This force, i.e., the Railway Protection Force, needs to be given the powers ol what is called the powers of investigation, at least preliminary investigation, so that the persons,. tbe culprits can be easily traced and can be handled properly and tl e details or detailed investigation can follow later on. This is something very necessary it the prurpose is to be served. Otherwise a number ot amedments like this can be carreid out and they will not serve the purpose of reducing the ejuantum ot thefts on the Indian railways.

Similarly, what is necessary is the improvement in tl t intelligence wing ol this Force. May I know from the Minister as to how he is going to bring this about that is, improvements in the present intelligence system ? There are known culprits, there are known gangs, which have been operating hand in glove, I am very sorry to say this, but I say it with all sense of reponsibility, with the peisons employed in the RPF. This is not something which I am saying. The Sarin Committee itself has said that these people are involved in thefts which are occurring on the railways. May I know what steps are going to be taken to improve the intelligence wing ol the RPF so that . persons ot proper calibre are recruited and they operate properly so that these culprits are identified traced and brought *o book and such thefts are delected? So what needs to be reorganised and set on the iight fooing is the intelligence system also. Antoher thing that is neeessary is to see as to. bow many theits took place and in which etc. etc. way. That is to say that some statistical record needs to be kept so that we know in what elirection we are progressing and what stees can be taken to ctub such thers. For tie purpose of arriving at proper* conclusions, we should have proper statistical record.

this connection, Madam, 1 would like to say that I have myself been a victim of this particular haiassment, or of theft. I was travelling from Bombay to Delhi by a second class sleeper coach. I just winked or went io sleep only for half an hour between Surat and Broach and two suitcases ot mine were missing. I wanted to complain about it. The conducter will say, it is no use, why do you want to complain ? This is what happens every day. Not merely here but also in tie Ratlam area. But I insisted that no, whatever be the consequences, I would mav like to exercise my right of complaint, He said, it will take a lot of time. It was d^ad ot night. But I insisted. Some people came and it took one hour ior me, at least tor them, to take down my complaint. Nothing has happened thereafter. I have not received any acknowledgement. No communications. And, allied you, Madan, this is what happened during the Emergency, about which a lot is being said and talked in favour in certain quarters. I do not know what is happening now L Butworst things! ave been happening now according to the persons who have been travelling by these trains. This is something which is common occurrence on these trains.

I hope the two Ministers who are supposed to be dynamic persons-would look into these problems and go into the complaints of the persons, the ordinary person who are travelling by second class and other classes.

With these words, Mad&m, I would suggest that let the right remidies be applied and not just the powers ot being armed and with powers ot arresting persons on suspicion etc. I tope the Minister will certainly enlighten this House regarding this Committee's Report and wl at steps.have been taken by his Ministry.

SHRI THINDIVANAM K. RAM-AMURTHY (Nominated : Madam Vice-Chairman this is a longand a much-needed awaited Bill Bill also. The RPF needs more powers. It has been the subject of a lot of criticism. Though in appearance it looks to be a police force, but it has neither the powers of police, nor the strength of an official protection force. Nobody takes the RPF seriously. Lethargy and ineffectiveness has made them gradually align with the culprits. They have become the source of encouragement for those people who are committing offences.

Vice-Chairman, clause Madam 11 of the Bill gives additional powers to the RPF. This has made it really an effective railway police force. Generally, the railway station premises are used as the hideouts by the criminals Whether the criminals are committing crimes on the railway stations or outside they are using the railway station premises as their hideouts. Some of the railway stations have an extent of three or four or even ten acres of land, around them. These lands have become habitable for the gangs who indulge places in criminal activities and also who commit thefts. They get down from the moving trains. This happens in the passenger and express trains and sometimes in the goods trains also. These gangsters get down from the moving trains, mix up with the persons, residing in these hideouts around the railway stations and then get out of the railway station premises conveniently. Stolen goods are kept in these places. Lepers and persons suffering from contagious diseases are using these places for the purpose of habitation. The result is that the police is unable to reach those places. The criminals are. therefore, safely using these hideouts for keeping the articles of theft and other railway property. There are other peculiar types of offences as . far as railway goods movement is concerned. The coal that is transported never teacher its destination in the

same weight and quantity. Cement is the other example. It never reaches the consignees in the same weight pr in the, same number of bags. Enormous theft of essential articles are taking place. Nobody is in a position to keep a check on these things. In our State, there is another peculiar type of offence. Right on the side of the railway lines people are able to fix pipes, connecting them to the railway wagons carrying petrol, kerosene and diesel; These pipes are laid underground and extended to a house or a cottage or to some place at a distance from where they are able to pipe out the petrol, kerosene or diesel. The loss is to the extent of crores of rupees. If such things arc to be detected, the RPF has to be made effective. This Bill, I am sure makes a headway towards eliminating all these offences.

Hero once again comes the question ot jurisidiction Apart from I GRP taking action the-jurisdiction of the RPF has not been well defined in this Bill. Suppose, the offence takes place withinthe premises of the railways, then, it is all right, the R.P.F., can act, but if the offence takes place outside the railway premises, how is the RPF to handle such an offence ? How will they handle such crimes ? Madam, this Bill gives powers to the RPF to arrest and detain persons, In this connection, I would suggest there is need for increasing the number of persons in R.P.F. Because, once you arrest a person, you need' security, you need escort and there is also the problem of handing over arrested persons within 24 hours. All these things come in. This should be looked into and provision should be made for this purpose;.

Then, Madam, the powers given to the RPF can be effectively enforced only if there is co-ordination between the GRP and the RPF. Mostly when cases are referred to the GRP, there is no response at all from them. This is the way in which the GRP is functioning. Unless there is effective co-ordination between the RPF and GRP, there is no use of giving

more powers to the RPF. RPF can not be effective. Once again, it will reflect on the functioning of the R.P.F. Steps should be taken to bring about co-ordination between these two forces *viz.* the R.P.I" and the G.R.P.

Another thing is, most of the railway courts in some States go without magistrates. When the offences are reported t! e GRP and ultimately. when tee cases arc taken to the magistrates, the magistrates are not available and it poses a big problem both for t'ne passengers and the persons involved. This is a reflection more on the railways tlian on the State Governments which do not nominate magistrates or make the magistrates function. Therefore, steps should be taken by the railways to see to it that the posts of magistral . do not fall vacant. I have seen cases . where foi months and years together the posts of Railway Magistrates are vacant in Tamil Nadu.

Madam, I would suggest that the RPF should be empowered to deal with the offences against the articles of passengers also. Now, the RPF is empowered to deal with only the railway property. Then, as my friend, Mr. Mohanarangam said. RPF should be put in-charge of looking after the railway premises also. -There is a large extent of railway premises and railway land which are used and misused by the encroachers both for the purpose of criminal offences and, at times, for their own personal benefits. These activities should be curbed and for curbing these, I think, RPF has been empowered with reasonable powers and these powers can be effectively enforced only if the GRP is made to co-ordinate with the RPF. Only then, better achieved. Thank results can be vou.

भी प्यारेलाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : उपसमाध्यक महोदया, रेल संरक्षण यल संशोधन विधेयक 1985 विचार के लिए सदन में ग्राप्ता हुआ है। मैं इस बिल का, खंड 13 को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसके कारण विरोध करता हूं।

महोदया, बिल में कहा गया है कि रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए समस्त बल का गठन और विनियमन करने के लिए सरकार इस बिल को सदन में लाई है। मुझे शक है कि यह बिल इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगा।

उपसभाष्यक्ष महोदयाः रेल स्रक्षा बल की तरफ जो जवाबदारियां हैं उनमें मख्य रूप से माल गाडियों के माल की सरक्षा, यावियों के आवागमन की स्रक्षा, विना टिकट चलने वाले यावियों को रेल में यात्रा करने से रोकना, रेल में चीरी धीर डकैती तथा पासैल की चोरी को रोकना ग्रादि मुख्य रूप से ये सब रेल सुरक्षा वल का काम है। पिछला अनुभव यह बताता है कि रेल सुरक्षा बल इस काम को करने में असफल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो रेल सुरक्षा बल की संख्या कम है या रेल सुरक्षा बल के जो लोग हैं उन्हीं के कारण ऐसा होता हो। लेकिन पिछले चार साल की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि स्रक्षा बल के रहते हुए भी बहुत बड़ा नकसान रेल विभाग को हुआ है। 1980 से 1984 के बीच में 400 करोड़ रुपये की चोरी रेलों में हुई है। एक लाख 30 हजार मामले रजिस्टर्ड हुए हैं और इसमें से कुल मिलाकर 26 हजार गिरफ्तारी हुई हैं 400 करोड़ के चोरी के माल में से 166 करोड़ का माल रिक्बर हुआ है। यह स्थिति है पिछले चार वर्ष की रेल सुरक्षा बल के हीते हुए भी। इससे यह बात साफ जाहिर है कि यावियों के जान-माल की रक्षा या माल की रक्षा या रेलवे के अन्दर से जो चोरी होती हैं उनकी रक्षा करने में रेलवे संरक्षा बल पूरी तरह से असफल रहा है। रेल में यात्री रोज याला करते हैं वे जानते हैं कि रेल की यात्रा कितनी कष्टप्रद है, जो रिजर्बेशन करके चलते हैं उनको जगह नहीं मिलती। उनकी जगह अनिधकत, विना टिकट यात्री, यावा करते हैं। इन बिना टिकट यातियों की संख्या भी कम नहीं है। बहुत वडी

🍍 [श्री प्यारेलाल खंडेलवाल] संख्या में रेल गाडियों में विना टिकट के लोग यात्रा करते हैं। बिना टिकट यात्रा ग्रपने आप नहीं कर सकते । उनको कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है। या तो वह रेल कर्मचारी कराते हैं या मुरक्षा विभाग क कर्मचारी कराते हैं। इतनी बड़ी माना में बिना टिकट यावा को जाती है जिसके परिणामस्यरूप रेल विभाग की बड़ा भारी नकसान, आधिक नकसान होता है। ऐसी स्थिति में यह जो विल लाया गया है यह यावियों की सुरक्षा, यावियों के सामान की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा कितनी कर पायेंगे यह समझ में नहीं आता। इस बिल के खंड 13 में यह कहा गया है कि रेलवे के सुरक्षा बल को सब प्रकार के संगठन बनाने पर रोक लगा दी गई है। यह बात सही है कि सुरक्षा बल में धन्-शासन चाहिए, चुस्ती चाहिए । यानियाँ के जान माल की सुरक्षा उनका प्रथम ध्येष है, दायित्व है। यह कर्तव्य उनको पूरा करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हं कि क्या कानन बना कर आप रेल सुरक्षा बल को इस तरह के अनुशासन में ढाल सकते हैं ? मुझे लगता है यह सम्भव नहीं होगा । कानून तो पहले भी थे। रेल सुरक्षा बल के लिये कई प्रकार के कानून बने थे। लेकिन इन कानूनों से काम पूरा नहीं होगा जब तक कि सुरक्षा बल में, सुरक्षा विभाग में यह विश्वास पैदा नहीं होता कि उनकी दिक्कतों को, उनकी कठिनाइयों का रेल विभाग. पूरी तरह से सुनने ग्रीर समझने के लिए तैयार है। उनकी भ्रपनी कठिनाइयां हैं। रेल विभाग में काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों का बेतन, उनको ग्रन्थ प्रकार की सुविधाएं, उनकी सेवा भतें, इन सारी बातों पर सरकार को गौर करना चाहिए। ग्राप उनको प्रजातांत्रिक ग्रधिकारों से बंजित करते जा रहे हैं। वे न एसोसिएशन बना सकेंग और न ट्रेड यूनियन्स। मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्राप उनको ऐसा कोई ग्रधिकार तो दीजिए जिसके कारण वे अपनी मांगे, सामृष्टिक मांगें सरकार के सामने रख सकें । लेकिन सरकार ने ग्रिधिकारों को छीन लिया है, इस नाम पर कि वह एक तरह से सैनिक बल है।

इस प्रकार का बल मान कर उनके सारे श्रधिकार छीने जा रहे हैं। यह उनके प्रजातांत्रिक श्रधिकार का हनन होगा और सरकार को इस धारा पर पुनर्विचार करना चाहिए।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं, कि नित्यत्रित चलने वाली गाड़ियों की हालत बहुत खराब है। उसमें भी पंखें चोरी हो जाते हैं, बिजली का सामान चोरी हो जाता है, नल चोरो हो जाते हैं सीटों पर लगने बाले कबर चोरी हो जाते हैं। इन सारी बातों के खलाबा यात्रियों के सामान की भी चोरी होती है इसमें रेल कर्मचारियों, गुरक्षा विभाग के कर्मचारियों का हाथ रहता है।

कुछ समय पहले भोपाल स्टेशन पर एक संसद-सदस्य के सामान की चोरी हुई थी। वे जब अपनी रिपोंट लिखाने के लिए गए तो गाड़ी चली गई। सदस्य वहीं के वहीं रह गए । घंटे, दों घंटे का टाइम रिपॉर्ट में लग गया। तेसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हं कि क्या सरकार यह व्यवस्था नहीं सकती है कि ग्रगर रेल वना यावियों का सामान चोरी हो जाय तो स्टेशन पर उतर कर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बजाय यह व्यवस्था कर दी जाय कि रेल के डिब्बे के अन्दर ही किसी सक्षम प्रधिकारी को यह प्रधिकार दे दिया जाय कि वह इस प्रकार की रिपोर्ट लिख सकें ? अभी स्थिति यह है कि अगर सामान चोरी हो जाता है तो याजियों को स्टेशन पर उतर कर पुलिस स्टेशन में जा कर रिपोर्ट लिखानी होती है। इस बीच में गाडी चली जाती है क्योंकि गाडी को रोका नहीं जा सकता है, टिकट भी खराव हो जाता है, पैसा भी खर्च हो गया है ग्रौर रिपोर्ट लिखाने में घंटे, डेढ़ घंटेका वक्त भी लगे जाता है। इस कारण से यावियों को कितनी तब लोक होती है इसका प्रन्याजा रेल मंत्री जी लगा सकते हैं।

इसके अलावा मैं जी० और० पी० ग्रीर रेलवे रिजर्व फोर्स के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में कोई केन्द्रीय नियंत्रण होना चाहिए। ग्रमी होता यह है कि जी० ग्रार० पी० प्रान्तों से मांगी जाती है। प्रान्तों के अन्दर यह स्थिति है कि जी० ग्रार० पी० में उस पुलिस कर्मचारी को भेजा जाता है जिसकी सावज्यकता प्रान्तों में नहीं होती है और उसको सजा के तौर पर जी० म्रार० पी० में भेजा जाता है। अगर पुलिस कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना प्रचलित होगी तो वे किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं? उनको ग्रपने कर्तव्य के प्रति जितना चस्त ग्रीर सजग रहना चाहिए उतना वे नहीं रहते हैं। परिणामस्वरूप उनको इस बात की चिंन्ता नहीं होती है कि यातियों का माल चोरी न हो। मैंने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी को पत्न भी लिखा था। एक चाय बगान के ग्रधिकारी का माल चोरी हो गया था । उसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने रेल मंत्री जी को लिखा। मैं उनको इस वात के लिए धन्यबाद देता हूं कि उस ग्रधिकारी का कुछ सामान मिल गया। लेकिन इसमें 7-8 महीने का टाइम लग गया। पार्सल के डिट्बों में जी चोरी होती है उसमें भी 7-8 महिने लग जाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें यातियों को कठिनाई न हो। ग्राज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। ग्राज हालत यह है कि याबी डिब्बे में बैंठा रहता है, गाड़ी रुकी रहती है, उसको पता नहीं होता कि गाड़ी क्यों रुकी हुई है । घंटों तक उसकों डिब्बे में रहना पडता है। कई बार यह स्थिति होती है कि गाड़ी जंगल में खड़ी है, सुरक्षा की- कोई व्यवस्था नहीं है। सूचना देने वाला कोई नहीं होता है कि किस कारण से गाड़ी हुकी हुई है। अगर सौ किलोमीटर पर या किसी निश्चित रैंज के वायरलेश सेट लगा दिये जाये ग्रीर वे यह बता सकें कि गाड़ी किस कारण से रुकी हुई है तो इससे यात्रियों को सुविधा होगी। कहीं पर माल गाड़ी खड़ी ही सकती है। कहीं पर कोई ब्रन्थ कारण भी हो सकता है। इन सब वातों को यातियों को सूचना दी जानी चाहिए। ग्राप इसका डिब्बों में

एनाउन्स कर सकते हैं, लाउंडस्पीकर से एनाउन्स कर सकते हैं। याती गाड़ियों में स्पीकर लगाये जा सकते हैं।

रेलों में जो अपराध होते हैं उनमें कई प्रभावशाली लोग भी होते हैं। ग्राजकल स्थिति यह है कि रेलों में चोरी करना एक प्रकार का उद्योग बन गया है।

3-00 P.M.

चोरी कोयले की हो या चोरी यावियों के सामान की हो लेकिन ग्राज हालत यह है कि जो रेलवे में चोरी कराता है वह वड़ा प्रभावशाली और वड़ा लखपति तथा करोड़पति बना हुआ है। आप किसी भी वडे जंक्शन पर चले जाइये, रेलवे स्टेशन के ब्रासपास ये लोग रहते हैं, वहां झग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मझे पता है कि भोपाल स्टेशन के पास जब वहां एक कलेक्टर ग्राये उन्होंने उनको वहां से हटा दिया और उनकी झगी-झोपडियां तोड दी। लेकिन वे फिर वहां ग्राकर वस गये हैं। ऐसे जो लोग हैं इनका मुख्य काम है रेलों में चोरी करना और करवाना, जेब काटना और कटवाना श्रीर इसमें जो रेलवे पुलिस के कर्नचारी ग्रीर रेलवे के अधिकारी हैं उनका हिस्सा उनके पास पहुँचता है। ये लोग सारे रेलवे स्टेशनों के आसपास बसे रहते हैं। यह काम उनका नियमित रूप से है। वे किसी की जेव काट लेंगे, रेल के डिब्बों से सामान चोर लेंगे । पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने पर कुछ भी नहीं होता। यह काम पुलिस की जानकारी में होता है। भ्राज भ्रावश्यकता इस बात की है कि इन सब वातों की तरफ ध्यान दियां जाय। अभी एक घटना हो गई ग्वालियर में। जन के प्रथम सप्ताह में जी ० टी ० एक्सप्रेस में एक विद्यायक को टिकट तो मिल गया लेकिन उनको झारक्षण नहीं मिला। जगह नहीं मिली तो गाडी रोंक दी गई, वैक्यूम निकाल दिया गया ग्रीर कहा गया कि हम रेलवे राज्य मंत्री के आदमी हैं। गाड़ी तब तक आगे नहीं बढेगी जब तक उनको जगह नहीं मिलेगी । ग्राधा घंटै जी० टी० एक्सप्रेस खालियर स्टेशन पर रुकी रही भुझे पता नहीं कि वे रेल मंत्री के ग्रादमी थे या नहीं । लेकिन रेलवे का वह कन्डक्टर.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाली जो कि एक बजुर्ग ग्रादमी था खडा खडा कांपता रहा। 20-25 लोगों का हज्म था । जगह उसके पास थी नहीं। अगर इस प्रकार से प्रभाववाली लोग रेलवे ग्रधिकारियों को डरायेंगे, धनकायेंगे और अगर उनको सचन्च में प्रभावी व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त है. तो रेलों की सुरक्षा, रेल यावियों की सुरक्षा कैसे होगी? मैं इस बारे में रेलशंती महोदय से निवेदन करना चाहता हं कि वेरेलवे अधिकारियों को इस बात का स्पष्ट ग्रादेश दें कि चाहे कोई कितना भी प्रभावणाली व्यक्ति क्यों न हो, रेलवे की सुरक्षा के बारे में, रेलवे के संचालन के बारे में वे किसी के प्रमाव में न आयें।

महोदया, जैसा मैंने कहा है कि पिछले चार वर्षों में रेलीं में भारी चोरियां हुई हैं और इनका रेलवे विभाग पूरी तरह से पकड़ नहीं पाया है । ये चोरियां दिन प्रति दिन बढती जा रही हैं। प्रगर रेलों में 400 करोड़ रुपये की चोरी होती है और सुरक्षा दल पर 58-59 करोड़ रुपये प्रति वर्ष ग्राप खर्च करते हैं तो श्रगर इसकी रोकथाम के लिए इस बल की संख्या क्यों नहीं बढाते ? कुछ दिन पहले रेल राज्य मंत्री ने घोषणा की थी कि 10 हजार सुरक्षा कर्मचारी । ग्रीर बढ़ा दिये जायेंगे, लेकिन बाद में कहा गया कि ब्रब नहीं करेंगे क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हं कि अगर सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या बढा देने से यातियों की सुरक्षा होती हो, उनके जानमाल की सुरक्षा होती हो तो ग्रापं उनकी संख्या जरूर बढ़ाइये । एक तरफ ग्राप 58 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और दूसरी तरफ सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की चोरी होती है, पिछले चार वर्षों में चार सौ करोड़ रुपये की बोरी हुई तो एक साल में सौ करोड़ रूपये हुई । तो अगर आप इस बल पर कुछ ग्रौर खर्च करके यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा और उनको संरक्षण दे सकते हैं,

जिससे राहत यात्रियों को मिले तो यह ग्रवश्य होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है और इन सब बातों पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

में एक बात और कहना चाहता हं कि रेलवे के कई डिवीजन बहुत बड़े बड़े हैं ग्रीर उनके बड़े के कारण उनकी व्यवस्था करने में कठिनाई पैदा होती है। इस पर पूर्निवचार किया जा सकता है ग्रौर रेलवे डिबीजनों को छोटा करके, प्रशासनिक दिष्ट से उनकी व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। महोदया, सारे देश में नेरोगेज बहुत कम बचा है और इस नैरोगेज का सबसे प्रमुख केन्द्र मध्य प्रदेश में नेनपूर है। लेकिन नैरोगेज का डिवीजनल हैडक्वाटर जो पहले यहां था उसको नागपुर में शिपट कर दिया गया है जब कि नैरोगेज का नागपुर से कोई संबंध नहीं है । उस क्षेत्र में कुछ विलोमीटर ही नैरोगेज है । नैनपुर नैरोगेज का सबसे ग्रधिक वड़ा केन्द्र है, यहां नैरोगंज लाइन सबसे ज्यादा है और यह सारा उसी इलाके में है जो नैनपुर केन्द्र में पड़ता है। मैं मंत्री महोदय को एक बात याद दिलाना चाहता हं कि दो साल पहले वहां एक एक्सीडेन्ट हुआ था, तो तत्कालीन रेल मंत्री श्री ग्रब्दूल गनी खां चौधरी जब वहां पर गये थे तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि नैतपूर को नैरोगेज का डिवीजनल सेन्टर बनाया जायेगा। लेकिन ... (व्यवधान) मैं विल पर ही बोल रहा है। ग्राप जरा सूनते जाइये काहे को उतावले हो रहे हैं। ग्रभी तक नयनपुर को डिवीअनल सेंटर घोषित नहीं किया गया । मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हुं उन्होंने मुझे उस मामले में एक पत्र भेजा है कि उस पर नीतिगत रूप से निर्णय ले लिया है लेकिन उस एरिया में मुकदमें चल रहे हैं। रेल मन्त्री के ग्राप्यासन पर डिवीजनल सेंटर वहां जाना था। जब डिवीजनल सेंटर वहां नहीं गया तो लोगों ने, जनता ने म्रान्दोलन किया इसलिए वहां पर कुछ लोगों के ऊपर मकदमें चल रहे हैं। क्योंकि रेल मंत्री जी की घोषणा के बाद भी जब डिवीजनल सेंटर नहीं खोला गया तो वहां की जनता ने आन्दोलन किया है इसलिए उनके विरुद्ध जो केसेज हैं उनको वापिस लिया जाना चाहिए है। मैं इन गब्दों के साथ इस विवेयक का विरोध करता हूं और यह जो धारा 13 आपने बनाई है इसको वापिस लें यह मैं मांग करता हूं।

SHRIMATI MONIKA DAS: Madam Vice-Chairman, I rise to support the Bill. The Railway Protection Force Act, 1957, after 28 years, is proposed to be amended by the Government. It is a-welcome step. This Bill should have been brought long back. Though it is late, I am very glad that the hon. Minister has introduced such an important Bill which will definitely bring down c®rruption in the Indian Railways.

Madam, the Indin a Railways being one of the biggest economic department in the world the life of the nation in transportation, both of passengers and of essential co modifies, is dependent on -it, with mooo wagons and more than 9 35,ion passengers travelling daily. Smill is necessary that we should ho itan uninterrupted and secure movement of the goods including the evemeal commodities and passangerssentierailways are of vital, national, strale gies importance. Madam, the rail ways play a very important, cruciat Vole not only in the economic industrial growth but also in the security and defence of the country.

Madam, the strength of the Railway Protection Force is 67,000 including the eight battalions of the Railway Protection Special Force. And the Dog Squads are also maintained in all the zonal railways for patrolling the yards and tracking down criminals. The Force is responsible for protection and safety of the consignments, goods with the Railways and also the Railways own material and other things. It also keeps watch on the movement of criminals and conducts raids for recovery of stolen property and arrest of criminals. In this regard, I would

like to say that during the last 28 years there has no been a little bit of improvement. In every way, in every theft, criminal activities, officials right from the RPF to the YPs, that is, Yard Porters, the SMs, the ASMs all are involved. We have seen, Madam, wherever thefts are taking place, full gangs are operating. During the last 28 years more or less they are definitely operating very much more. Now really we are so happy that the Government has taken so many steps. Really this is most essential. If you really want to bring down curruption in the Railways, we have to see that the RPF should be made an armed Force of the Union to make it more efficient and effective. I hope that this Bill will also stop bring down and stop organised corruption. There is a big organised corruption, Madam. Trie criminals and offenders have a nexus with the authorities.

Under clause 13, a restriction has been proposed on the right to form association on the lines of similar restriction in other armed forces of the Union. It is an important and welcome step. It will stop pressures and nepotism from political groups and vested interests in politics at various levels and make the Force a more effective and efficient1 organisation.

Again, on tire other side, the members of the Force, especially in the lower cadre, who are directly responsible for carrying on the work of the Railways for protection of the Railway property and for safety of the passengers.

In 1979, when Janata Party came . into power, at that time, we had seen a big agitation in the Railways and with that, the administrative efficiency of the Railways had gone down considerably. That was a big agitation organized by the trade unions and mazdoor union. There were many unions.

[Shrimati Monika Das]

Now, I would request the Honourable Minister that if you want to bring efficiency, then additional powers should be given to the R.P.F. At the moment, they do not have any power. The only power with them is to catch the people when they see that people are stealing something, they have got that catching power. So-, we should give them more powers. I request the Hon'ble Minister that superior officers should get more power in the Rilways so that they show their efficiency in the discharge of their duties in the R.P.F. Now, Madam, in the Railways, the medical wing is one of the most important and efficient wings. I can tell you, Madam, even in small stations in the Railways, doctors are well qualified and this medical wing is an independent wing and they are doing such a tremendous work that I can challenge even that our central hospitals and in big hospitals which, are famous for their name and fame, would not have, been doing such an excellent work. The Railways has got that separate body i.e., medical wing. In the same way, you should give separate power, independent power to RPF. At the same time, if RPF personnel are not enough in number, you can increase their number keeping in view the size of the Railways and the number of employees in the Railways. Whenever we happen to approach these RPF personnel, they say, we do not have any power, So, I would request that senior officers should get more powers. All the R.P.F, personnel are not bad. Some of them have done commendable work but despite that, they have not been awarded suitably. I would request that they must get some rewards.

Then, Madam, if you want to bring down corruption, thefts and other things which are gQing on in tne Railways, definitely, we have to given more power and importance to the RPF and the subject we are discussing today will serve no useful purpose in the absence of thes<»

powers. If you feel that GRP and RPF put togetner could work better, you can merge them and vest them with more powers.' The honest and hardworking officers doing commenciable job should be rewarded accordingly. At the present moment, this is not the case. With these few words, I support the Rill and hope that the Hono'ble Railway Minister, who is known far his efficiency will pay heed to what I have said. Thank you.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया
यह रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के सबंध में
कानून जैसा कि माननीय मंत्री जी ने
बताया 1957 में बना था। काफी दिन
हो गये। हमें यह देखना चाहिए कि इतने
दिनों के ग्रंदर जो रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स
को जिम्मेदौरियां दी गई थीं उन जिम्मेदारियों को उसने कहां तक निभाया
है?

देखने से लगता यह है कि रेलवें प्रोटैक्शन फोर्स को जितनी भी जिम्मेवारियों दी गई थीं उनमें से किसी भी जिम्मेवारी को इसने मुस्तेंदी से पालन नहीं किया है। चाह वह चोरी का मामला हो, या चेन पुलिम के रोकने का मामला हो, या रेल में चलने वाले यावियों के सामान की रक्षा का प्रश्न हो, किसी भी दिष्ट से अगर देखा जाए, तो रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स पूरे रूप में असफल रही हैं।

मरे पास कुछ श्रांकड़े हैं रेलवे सम्पत्ति की वोरी के, उस से यह लगता है कि रेलवे सम्पत्ति की वोरी रोज-ब-रोज बढ़ती जा रही है 1979-80 में 92.79 करोड़ रुपये की वोरी हुई थी, जो 1980-81 में बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई श्रीर 1983-84 में 174 करोड़ की वोरी हुई है। यह बातें...

एक माननीय संदस्य : यह आंकड़े गलत हैं।

श्री **सूरज प्रसाद :** म्रांकड़े ठीक कर लीजिए, मंत्री जी यहां पर हैं।

इसलिए यह सब बातें बताती हैं कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के बाद भी रेलवे सम्पत्ति की चोरी रोज-ब-रोज बढ़ती चली जा रही है और अगर यह सम्पत्ति की चोरियां रेलवे के अन्दर हुई हैं तो सरकार को इस सम्पत्ति की चोरी पर भारी मुखावजा भी देना पड़ता है और यह सरकार पर एक दुवारा बोझ बढ़ जाता है।

इसलिए यह बात बिलकुल साफ नजर आती है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स बोरी रोकने में असमर्थ है और इतना ही नहीं, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के द्वारा पाकेट-मारों का संगठन किया जाता है और रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। ऐसी स्थिति में इस रेलवे प्रोटक्शन फोर्स को अधिक पावर दी गई है जैसा कि बिल के अन्दर प्रावधान है। तो उससे उस अधिकार का दूरुपयोग होने की अधिक सम्भावना है बनिस्वत उसके सही इस्तेमाल के। इस बिल के अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के लोग श्रव विना वारट के भी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। बारंट के साथ भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना बारट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। रेलवें स्टेशन पर बहुत से लोग ग्राते जाते रहते हैं रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स कोई दूध के धोए लोग नहीं हैं। इनमें काफी करप्शन है, पैसे कमाने की एक खास ग्रादत उनमें है ग्रीर इस्नीलए इस शक्ति का वह दूरुपयोग कर सकते हैं, बेगनाह लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे पैसा ऐंठ सकते हैं और इस प्रकार से अपनी जेब गर्म कर सकते हैं। इसलिए इस शक्ति को उनके हाथों में देकर सरकार कोई भला काम नहीं कर रही है। लगता यह है कि हाल के दिनों में सरकार तमाम इस तरह के फोर्स को अधिक से अधिक पावर देकर लोगों को अधिक हैरास करने की शक्ति इन्हें प्रदान करती जा रही है, जिनका दुरुपयोग होना अनिवार्य सा है।

दूसरी वात मैं इस संबंध में जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स विल के अंदर धारा 13 के अन्दर जो सरकार ने प्रावधान किया है, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स सदस्यों का जो ट्रेड यूनियन राइट है, उसको अपहरण करने का... सरकार में काम करने वाले जो लोग हैं उनके भी फंडमिंटल राइट्स हैं अपने हकों की रक्षा के बारे में, अपनी मांगों को रखने के बारे में, अपने ग्रीबान्सेज के निराकरण के लिये बातें करने के बारे मैं। लगता यह है कि सरकार उनके हकों को छीन कर उनके हाथ-पैर की बांधकर उनको बिलकुल मूक बना देना चाहती है। इसलिए इस तरह का हुक जो उनको होना चाहिए उसका अपहरण करके सरकार बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है, इसलिए इस तरह के प्रावधान का मैं विरोध करती हूं।

एक भीर तरह का प्रावधान इस बिल के अन्दर है और वह यह है कि रेलवे फोर्स के सदस्यों को उनके उच्च ग्रधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरक्तार करने का कारण क्या होगा? अगर वह अपनी डयटी ठीक से नहीं करते जो जिम्मेदारी दी गई है उसका उल्लंघन करते हैं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी उनको मिरफ्तार कर सकते हैं और यह भी प्रावधान किया गया है कि उन्ह एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। रेजवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो अधि-कारी हैं उनके बारे में यह बात देखी जाती है कि नीचे के जो साधारण कर्मचारी हैं उनको वे बधुग्रा मजदूर समझते हैं और उनका इस्तेमाल मजदूर जैसा करते हैं। अगर कि ने उनके हक्म का पालन नहीं किया, उनके घरों का काम नहीं किया, उनकी पत्नी की बात नहीं मानी, कोई बाजार का सीदा नहीं लाए तो बे दंड के भागी बन जाते हैं। इस तरह की पावर देकर रेलवे प्रोटेंक्शन फोर्स के प्रधि-कारियों के हाथ में भोषण का बहुत बड़ा हथियार दे दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर भी सरकार को विचार करेना चाहिए। सही माने में कहा जाय तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे लुट फोर्स है। रेलवे प्रोटेंक्शन फोर्स के हाथ में इतनी पावर देना बन्दर के हाथ में तलवार देने के समान है। इसलिए मैं समझता हं कि इस तरह के बिल का हम लोंगों के द्वारा समर्थन ग्रसम्भव है। इसलिए मैं इस विल का विरोध करता है।

श्री कल्पनाथ राथ (उत्तर प्रदेश):
उपसभाध्यक्ष महोदया, श्रादरणीय रेल
मंत्री जी जो यह बिल लाए हैं मैं उसका
समर्थन करता हूं । रेलवे जो देश की
लाइफ लाइन है और हिन्दुस्तान के पूरे
श्राधिक जीवन को गति देने वाला विभाग
है इसमें पिछले ग्राठ-नौ महीनों से रेल
मंत्री जी काम कर रहे हैं। इस पालियामेंट के दानों कक्षों के लोग कह रहे हैं कि
रेल मंत्री जी बड़े योग्य हैं और रेलवे
को एक तही दिशा देंगे। वे जो दिल
लाए हैं वे रेलवे की समस्याओं श्रीर देश
के अन्दर जो चीजें हो रही हैं उनको
महेनजर रखते हुए लाए होंगे।

रेलवे सारे राष्ट्र के जीवन से संबंधित है। जो सीमेंट के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, लोहें की खदाने हैं, जो हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियल जीवन को गति प्रदान करने वाले उपक्रम हैं, रेलवे उनके सारे माल को ढोने का काम करती है।

तो इस रेलवे में जो चोरी हो रही है उस को कैसे रोका जाये। जब बी.एस. एक व निर्माण हुआ था तो उस समय चोन का हमला हुआ था और आज बीं०एस० एफ०की क्षमता और उस की योग्यता भौर उस की कांपिर्टंस को सभी एडमिट करते हैं। तो अ।ज के इस नए परिप्रेष्ट्य में रेलवे प्रोदेवशन फोर्स को जो एक एक नई पावर के साथ बनानें की कीणिश की गई है यह एक सराहनीय कदम है भीर इस से रेलवे विभाग में चोरी रुकेगी। यह दोनों बाते. एक साथ नहीं चल सकतीं कि उन को देड यनियन का अधिकार भी दिया जाये और उस को हल्लडबाजी का अधिकार भी रहे और उन से अच्छा काम भी लिया जाये। मैं रेलवे मंत्री जी से मिला था। सुरज प्रसोद जी जी बोले हैं वे बिहार से भाते हैं और वें भ्रन्छी तरह से जानते हैं कि मगलसराय में करोड़ों रुपयों के माल की रोज चोरी होती है और मैंने अपनी ग्रांखों से देखा है। ग्राप स्टेशन पर खडे रहिए ग्रीर ग्राप-देखेंगे कि वे डिब्बा काट कर चोरी कर रहै हैं खोर अधिकारी भी वहां खंडे हैं और पुलिस वाले भी वहीं खड़े हैं। वहां लगातार 24 सी घंटे

चोरी होती है। ग्राखिर इस तरह की चोरियों को रोकने के लिए ग्रगर कोई कार-गर कदम नहीं उठाया जायगा तो रेलवे में चोरी बंद कैसे होंगी । ग्रार०पी०एफ० के लिए जैसे मिलिटरी की टेनिंग होती है वैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और हमारे ऐक्ट में प्रावधान होना चाहिए कि ग्रार०पी०एफ० के जो लोग चोरी के मामलों में पकड़े जायें उन का डिस्मिसल किया जाना चाहिए। अगर 50, 60 लोग इस प्रकार से डिस्मिस हो जायेंगे तो इस तरह की चोरियां बंद हो जायेंगी। इस लिए मादरणीय मंत्री जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का मैं समर्थन करता है। ग्राप को परे रेलवे विभाग को सम्हालना है क्योंकि यह विभाग राष्ट्र के जीवन से संबंधित है।

ग्रापके विभाग में भटनी से ब्नारस तक की लाइन को बड़ी लाइन बनाने का काम चल रहा है। इस का प्रस्ताव बजट में सरकार ने स्वीकार किया और 42 करोड रुपये की इस की लागत है। हर साल 3, चार, डेढ़ करोड रुपया ग्राप इस के लिये देते हैं और इस पर दस करोड रुपया अब तक खर्च हुआ है। लेकिन जो सामान इस को बनाने के लिये ब्राता है उसमें भी चोरी होती है। जो थोडा बहत रुपया खर्च होता है उसमें भी लगातार है । तो चोरी होती विमाग द्वारा इस चोरी बको रोक्षने के लिये उस के पुलिस वल को और अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए जो यह बिल आया है यह उचित ही है और इस लिये मैं इस का समर्थन करता है। इस चोरी में अगर रेलवे विमाग के कर्मचारी गामिल न हों तो यह चोरी हो ही नहीं सकती। रेलवे विभाग के लोग चोरी कराते हैं और चोरी करते हैं और वे छन. चोरों से मिले हुए हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि ...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): कुछ लोग ऐसे होंगे, सब नहीं।

श्री कल्पनाथ राय : सब को में नहीं कह रहा हूं। रेलवें विभाग के कुछ लोग मिले हुए हैं, मैं सब को नहीं कहता। आप विहार के रहने वाले हैं और इस लिये आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति तो यह है कि बिहार में कोई भी गाड़ी चल रहीं हो उस में वहां के लिए तो कोई फर्स्ट क्लाउ कंपार्टमेंट है ही नहीं। एक बार मैं मुगलसराय से सासाराम जा रहा था तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक आदमी अपनी गाय ले कर चढ़ गया और उस के साथ बीस लोग और आ गये। मैं तो इर के मारे बोला नहीं कि क्यों चढ़ गईं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : ग्रापको देखकर ऐसा किया होगा।...(व्यवधान)

भी प्यारेलाल खंडेलवाल: ग्राप डर गए, ग्राण्चर्य की बात है।...(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय: ब्रादरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदया, ब्राप समस्तीपुर से दरभंगा जाइए, प्रथम श्रेणी है ही नहीं। हक्मदेव चारायण यादव उसी इलाके के रहने वाले हैं। न वहां उन डिब्बों में गहा है, न पंखा है । तो यह सारी सम्पत्ति जो राष्ट्रीय सम्पति है उसकी लट होती है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जो भी ग्रपराध करे उसको कड़े से कड़े दण्ड दिया जाना चाहिए। आज दुनियां के किसी भी देश में रेलवे में बिना टिकट याता करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे यहां उनकी संख्या काफी है। यहां उनके लिए ऐसा इंतजाम है कि टिकट कलैक्टर या टिकट चैकर बिना टिकट वालों की जांच क्रता है, लेकिन उनकी जांच करने के लिए दूसरा विभाग बना हका है, । एक के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दसरी ऐजेंसी बनी हुई है और वह खद भ्रष्टाचार करती है। टिकट कलैक्टर खद भ्रष्ट हैं। यापके याने के बाद कुछ उन में दहशत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रादरणीय बंसीलाल जी की देखरेख में इस मुल्क में रेलवे में जो चोरी होती है वह रुकेगी ग्रीर जो विना टिकट याता करने वाले हैं, वे कम होंग ।

महोदया, इंग्लैंड में या कई दुनिया के देशों में विका टिकट यात्रा करने वाले नहीं मिलेंगे । वहां टिकट डाला तो गेट खुल गया, तो फिर वहां चोरी नहीं होती । आजाद हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक का धर्म यह होना चाहिए कि इस चोरी को रोका जाये और लोंगों को ईमानदारी से जीने का हक मिल सके। म्राज जितनी भी ऐजेंसियां रेलवे की चोरी को खत्म करने के लिए हैं, टिकट लैस ट्रैवॉलंग को बंद करने के लिए हैं, वे खुद भ्रष्ट हैं। रेलवे में हर जगह भ्रष्टाचार है जिसे रोकना श्रावश्यक है।

महोदया, ग्राज हमारे यहां 90 लाख लोग जिस रेलवे के माध्यम से चलते हैं. ग्रगर ग्राप उनके भोजन की व्यवस्था देखेंगी तो ग्रापको ग्राप्ट्य होगा कि उसमें किस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट, कांटेक्टर्स भीर बेईमान ठेके वाले लोग हैं जो कि रेलवे के सिस्टम को बदनाम करने की कोणिण करते हैं। मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि ग्राप कैटरिंग कारपोरेशन इसके लिये बनाये ग्रीर लाखों लोग जो वेकार हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण दें. उनके द्वारा खाने पीने का प्रबन्ध कर इस चोरी को रोकने का प्रयास करें। जो जीवन की ग्रावश्यक वस्तुएं हैं, जो काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और काश्मीर से ग्रहमदा-बाद तक जाती है, जैसे गेहं, चीनी, फल ग्रादि, उनकी ढलाई ठीक से हो सके, समय से माल ग्राये ग्रीर समय से जाए, इसमें कोई बोलटनैक्स न हों। इसके लिए अापको एक स्टांग पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि आप अपने अनुभवों के ग्राधार पर इस विल को लायें हैं ग्रीर हमें पूरा विश्वास है कि ग्राप इस फोर्स को बी०एस०एफ० की तरह से बनायेंगे श्रीर इसका इस्तेमाल पूरे देश में से भ्रष्टाचार को और चोरी को समाप्त करने के लिए करेंगे।

इन शब्दों के साथ में आपके हारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने हरियाणा का निर्माण करके पूरे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय रंगमंच पर यह साबित कर दिया कि किसी प्रदेश का निर्माण कैसे होता है, उसी तरह से आप पूरे हिन्दुस्तान की रेलवे को दुग्स्त करके इसकी संक्टी, पंक्चएलिटी को और इसकी सर्विस को ठीक करेंगे ताकि अन्य विभाग

श्री कल नाय राय

भी इसका अनुसरण कर सकें। इन णब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता है।

THE VICECHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHER-JEE): Shri S.P. Malaviya—Not hero Shri Radhakrishna.

PUTTAPAGA RADHA-SHRI KRISHNA (Andhra Pradesh)': Madam Vice-Chairman. this Bill seeks to enhance the of the R.P.F, and to provide more security. We have no objection if more: security is provided and wa will be glad about it. But it seems to im that with the existing powers or with the ameqded powers or with some additional powers, this Railway Protection Force cannot provide any further security and ' they cannot provid'; even the normal security because the R.P.F cannot arrest the offenders. They cannot prosecute them and cannot detect the crime. First of all, to provide security to the life and property of the passengers is not the job of the R.P.F. There is a parallel organisation known as G.R.P. This is under the State administration. Fifty per cent of the expenditure of the G.R.P. is borns by the Railways, but they have no control over the administration of the G.R.P. There is no coordination between the R.P.F, and the G.R.P. Also there is no coordination between the Railway authorities and the G.R.P. That is why, nothing can be doneis.becausi providing security to the passengers and to their property is in the hands of G.R.P. which is not'controlled by the Railways. The R.P.F, -is meant only to protect the railway property. First of all, there must be a unified organisation and there must be coordination between these organisations. Unless and until there is coordination between these different forces they can not provide effective security.

' The Railway Protection Force is neither a civilian force nor it is a military force. There is a confusion. It should be reformed right from the

recruitment stage. Several members have spoken about it and I need not explain it.

Regarding security to the passengers and to their property, there ar* many loopholes in the administration as well in the law. G.R.P. is meant to protect the life and property of the passengers. The G. R. P. stations are scattered. Sometimes, a complainant has to travel, ioo kilometers to lodge a complaint with the Police because the offence has been committed very far away from the Police Station and they can not effectively investigate the crime. The crime is to be prevented. If it is not prevented, they have to go in Ior detection. Both' are necessary. Sometimes, the miscreants trouble the passengers. Some nefarious persons enter the trains and sell articles. They create nuisance and problems between passengers and passengers and between miscreants and passengers. They also sell foodstuffs which are injurious to the health of the passengers. That is also a troublesome problem. It should be stopped.

There is also the menace of beggars. These beggars create nuisance at the station and create problems. They confuse the passengers so that thoy may miss their articles. They create some trouble between passengers and between passengers and beggars. This is also a serious matter.

I request the hon. Minister to . consider the question of coordination •between the R.P.F. and the G.R.P. and also the possibility of getting G.R.P. under the control of the Railway authorities. The Railway Authorities.are blamed for everything, but they cannot control the G.R.P. These issues must be examined by the Railway Minister. He may act in his own way to get the difficulties removed. If the Bill is meant to enhance the powers of the R.P.F for providing security, I have no ^objection and hence I conclude.

थी ग्रानंद प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाष्यक्ष महोदया, में रेल संरक्षण वल संशोधन विधयन के समर्थन में खड़ा हुआ हं। रेल देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संस्थात सार्वजनिक क्षेत्र में है। इसका न्यापारिक संस्थान होने का ही महत्व नहीं है बल्कि रेलों का देश के सामान्य जन की सुरक्षा और देश की रक्षा के हित में भी बहुत बड़ा महत्व है। ग्रभी इस संबंध में तमाम चर्चाएं बाई यह कहा गया है कि रेलों म चोरियां होती हैं, रेलों में डकैतियां होती हैं, रेलों की सम्पत्ति की क्षति पहुंचाई जाती है जिससे देश की क्षति होती है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। यात्रियों की जान-माल की क्षति के उदाहरण भी चर्ची में ग्राए। इन सब चीजों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल का महत्व ग्रपनी जगह पर बहुत यधिक हो जाता है। धभी जो रेलवे सरक्षा दल काम कर रहा है वह लगभग 28 वर्ष पुराने अधिनियम के आधार पर काम कर रहा है। सन् 1957 में रेलवे सरक्षा बल अधिनियम, 1957 के अन्तंगत इस संगठन का गठन किजा गया था। निण्चय ही इतनी बडी लम्बी श्रवधि में समय में परिवर्तन के साथ नई चनौतियों को देखते हुए उसमें कुछ मूल परिवर्तन की ग्रावस्थकता थी। हमारे सुयोग्य रेल मंत्री जी ने समय की मांग को देखते हए, ग्रावस्थकता को समझते हुए ग्रीर रेलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तृत किया है में उसका स्वागत करते हुए मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं । इस बिल के माध्यम से रेलवे में जो सुरक्षा बल है. उसके सदस्यों को अधिक अधिकार दिये जाने की बात कही गई है। मैं समझता हं कि उनको रेलवे कर्मचारी होने के साथ-साथ जो फोर्स का दर्जा दिया गया है, निष्चय ही यह उनके सम्मान की वात है ग्रार वे इससे सम्मानित होंगे। रोजमरी के जीवन में और समाज में हम यह देखते हैं कि कोई भी जो सगस्त्र फोर्स के लोग हैं, हमारे ग्राम्ड फोर्सेज के लोग हैं या देश की सुरक्षा में लगे हुई फोर्सेज हैं उनको हमारे समाज में सम्मान की दण्टि से देखा जाता है, उनका समाज में सम्मान

होता है। मैं समझता हं कि इन लोगों को फोर्स का दर्जा देने के साथ उनका रेलवे कर्मचारी होने का ग्रस्तित्व भी बनाये रखा गया है, यह उनके लिए सम्मान की बात है और इस प्रकार से उनको दोहरा सम्मान दिया गया है। इस दोहरे सम्मान में उनका मनोबल ऊंचा होगा। जब उनका मनोबल ऊंचा होगा तो उनमें नई शक्ति का संचार होगा। उनको इस बिल के माध्यम से नये अधिकार दिये गये हैं। निश्चित ही इससे रेलों में होने वाले अपराधों में कमी होगी भीर ये लोग अपराधों को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं समझता हं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है, वह बड़ा सामयिक है ग्रीर वर्तमान चुनौतियों में ग्रावशयक है। जहां इस बिल में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, रेलों में सुधार लाने के लिए ग्रीर इस फोर्स को नये सिरे से संगठित करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है वहां में आपसे विनम्न निवेदन यह भी करना चाहता हुं कि इस फोर्सु में काम करने वाले कर्मचारियों की दैनिक जीवन की सुविधाओं में सुधार किया जाय ताकि उनके अन्दर किसी प्रकार से भी भ्रष्टाचार अंक्रित न होने पाये। ग्रगर ग्राप उनकी सेव ग्रों में ग्रौर उनकी सुवि-धाश्रों में सुधार करेंगे तो हम उनमें पनपने वाले भ्रष्टाचार की ग्राशंका से भी वच सकते हैं। इससे उनका मनोबल भी ऊचा होगा। वे देश भक्ति की भावना से ग्रागे वड़ चकेंगे। इसलिए इस बात की ग्रावश्यकता है कि उनके दैनिक जीवन की स्विधाय्रों को बढ़ाया जाय।

महोदया, एंक बात हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़े जोरों से उठाई कि प्रस्तुत संशोधन विधेयक की धारा 13 में जो एक प्रावधान किया गया है कि फोर्स के अन्दर के सदस्यों को किसी एसोसिएशन, किसी संघ के सदस्य होने पर प्रतिबन्ध होगा ग्रीर विपक्ष के साथियों की तरफ से यह कहा गया है कि इससे जो उनके प्रजातांत्रिक ग्रिधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। उपसभाष्यक्ष महोदया, मैं ग्रापक माध्यम से यह कहना चाहता है कि किसी भी विभाग में, जो हमारा पिछला अनभव है. कोई भी युनियन, कोई भी सोसिएशन

श्री प्रानन्द प्रजाश गीतम]

ऐसी, नहीं है जो राजनीति से प्रशाबित न हो और राजनीति में लोग उसका किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, अपने हित में उसका दृश्पयोग करते हैं और राष्टीय द्वित के विपरीत इसका प्रयोग किया जाता है। यह मेरे कहन की बात नहीं है इसका भ्राप स्वयं भ्राभास कर सकते हैं. धनभव कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना बाहता लेकिन विगत पिछने वर्षों में ग्रामको स्वयं अनुभव हुआ होगा कि हमारे देश के कई मधंन्य नेतायों के फोर्स के साथियों को भी राष्ट्र क खिलाफ भड़काने की योजना बनाई थी। तो क्या ग्राप समझते हैं कि यदि युनियन और संघ बनाने का अधिकार फोर्स के लोगों को दे दिया जाये तो क्या इसके दुरुपयांग से वे वंचित रह सकते हैं? मेरा चपना विचार है कि निश्चित ही इसका दूरुपयोग होगा। मेरे विचार से इस फोर्स के लोगों को उनमें राष्ट्र के प्रति जो सदभावना है और उनमें जो कर्त्तव्य ⁵ निष्ठा है उसकी सुबह रखने के लिये म्रोर उस क्लंब्य-निष्ठा के प्रति उनका ध्यान एकाम करने के लिये यह आवश्यक है कि उनका ध्यान उनुके निजी हिलों की ग्रोर लडने के लिये न बढाया जाये बल्कि उनके निजी हितों को देखने के लिये. उनको सुविधाय देने ने लिये मैं समझता हें कि हमारे संयोग्य रेल मंत्री स्वयं जागरूक हैं और वे समय-समय पर उतकी ज^{रू}रतों को ध्यान में रखते हुए उनकी मुविधायों को वढाते रहेंगे। 🥫

महोदया. रेल मंत्री जी जो यह विधेयक प्रस्तृत कर रहे हैं यह बड़ा ही उपयोगी है और यह रेलवे मुरक्षा में पूर्ण रूप से महयोगी है और इससे निष्चित ही प्रपराधों में कभी प्रायेगी जहां हम और आप मिलकर यह सोचते हैं कि यह इतना बड़ा प्रतिष्ठात है और इसमें यात्रियों के सामान की मुरक्षा अत्यंत प्रावश्यक है, उनमें यात्रा करने वाले लोगों की मुरक्षा और उनके जात-माल की रक्षा अत्यन्त अति यावश्यक है, उसके लिये यह जरूरी है कि रेलवे फोर्स के लोगों को, रेलवे मुरक्षा वल के लोगों से हमें मुरक्षा मिले और हम उनसे मुरक्षा को अवेका करते हैं। माल्यवर, जो हस रेल वालियों करते हैं। माल्यवर, जो हस रेल वालियों

के लिये हर प्रकार की सविद्या की अपेक्षा रेलवे वल के सावियों से करते है हम ग्राजा करते हैं वह हमें प्राप्त होगी। मान्ववर, में श्रांपसे एक और निवेदन करना चाहंगा कि रेल यात्री जो साधारण डिब्बों में चलते हैं उनकी सुरक्षा क साथ ही उनके लिय एक ग्रौर सावश्यक कार्य बाकी है जिसके लिये मैंने पिछले सब में भी ग्रापसे निवेदन किया था कि उन्हें पीन का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो पानी रेल के डिब्बों में उपलब्ध है, मैं समझता हूं कि जो ये टंकियां भरी रहती हैं उन्हें जो रेल की छतों के ऊपर चलन वाले लोग हैं वे उसको द्वित कर देते हैं, इसलिये उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता । मेरा ग्रापसे निवेदन है कि ब्राप एक सुरक्षित टंकी हर हिच्चे में लगाने की व्यवस्था करें।

महोदया, मैं समझता हूं कि जो आपने केन्द्र सरकार के अधीन यह रेलवे सुरक्षा वल बनाया है इसमें जो रेलवे सुरक्षा के दूसरे विभाग हैं, चाहे वह जी उधार उपी उहैं, वाचे एंड बार्ड हैं, उनकों भी यदि एक ही फोर्स के अन्दर, एक ही यूनिट्र के अन्दर आमिल कर दिया जाये ती निश्चय ही उनमें जो हीनता की भावना है वह दूर हो जायेगी और वे अपने कर्त्तव्य में अधिक योगदान कर सकेंगे और अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से पूरा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे मंत्री महोदय को बचाई देते हुए इस विल का समर्थन करता है।

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT (Jammu and Kashmir): Madam, Vice-Chairman the .Bill before the House seeks to amend die RPF Act, 1957. This has been brought forward to enhance the powers.of the RPF. Several. Members have described tins Bill as significant. But its significance will be judged only if the property of the passengers travelling in the trains as well as the railway property are protected and there is safety for everybody.*If not, this Bill will not have any significance. Madam, there was a time when passengers travelling in trains from Calcutta to

Punjab were able to travel fearlessly. Women wearing ornaments weighing up to hundred tolas were able to travel fearlessly. But today,, the situation is such that a women wearing ornaments weighing up to even \$0 gms. will not be able to travel, will be afraid to travel. Women cannot travel fearlessly in the trains nowadays. There are pickpockets. I will not mention them. But there are also dacoits and thieves. There are murderers. Many crimes are committed on the trains but the culprits are not apprehended. Only a few are apprehended, not all. There is no dearth of dacpoits and murderers. We have been receiving reports. If the powers have been increased so that the force becomes efficient and is able to check the crimes effectively, it is all good. Otherwise, there will be no use of passing this Bill. I would urge the hon. Minister to see that the provisions of this Bill are implemented in letter and spirit and the force becomes efficient to deal with the crimes and to protect the property of the passengers as well as the railway property.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI .KANAK MUKHERJEE): Shri Mahendra Mohan Mishra. Not here. Shri Sukhdev Prasad.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश)ः मैडम उपसमाध्यक्ष जी, मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोसं (ग्रमेंडमेंट) बिल के समर्थन के लिये खड़ा हुआ है । मैंने अपने साथियों क विचारों को सना और उससे अपने को सम्बद्ध न करते हुए, एक बात के लिए मैं जरूर कहंगा, वह यह कि कुछ कमियां रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हैं जिनकी ग्रोर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना आवम्यक समझता हूं। मैं बहुत सारी वातों की श्रोर नहीं जाना चाहता, केवल एक सजैशन , देना चाहता हूं कि ग्रापके पास रेलवे की सरक्षा के लिए दो फोर्स हैं, एक तो ग्रार०पी०एफ० है ग्रीर दूसरी जी०ग्रार०पी० है। जी०ग्रार०पी० पर ग्रापके ग्रार०पी० एफ० का कोई कन्टोल नहीं है। इस तरह से यह इयुल पालिसी जो है. वह रेलव को ज्यादा नकसान पंहचा रही है। मेरा सुझाव है

कि ग्राप जी० ग्रार० में के कर्तई ग्रपने विभाग से अलग करिए और श्रार० में जहां तक हो सके उसकी भर्ती करके और उस मजबूत करके जितने भी करण्यान होते हैं उसकी जिम्मेदारी उसके सिर पर डालए। एक फोर्स के सिर पर डालए। एक फोर्स के सिर पर डालिए। एक जिम्मेदारी को निभायेगा और फिर देखिये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस कमी को दूर करता है कि नहीं।

श्राज जितने भी आपके जी०श्रार०पी० के लोग आते हैं, वह ज्यादातर प्रान्तीय पुलिस से आते हैं और शायद वह अपनी जिम्मेदारी को उतनी खूबी से नहीं निभ पाते जिस खूबी से उनको निभानी चाहिए और इसी तरीके से दूसरे के सिर पर जिम्मेदारी डालते हुए वह अपने को अलग करते हैं और इसकी वजह से कम्जोरी श्रापके विभाग में आती है।

जहां तक इनकी यूनियन और दूसरी चीजों का सवाल है, मैं इस बात को जरूर ग्रपने साथियों से निवेदन करना चाहता हं कि जहां तक फोर्स है, ग्राप कृपा करके, मेहरबानी करके यह करें कि उसमें तो यनियनवाजी को आप छोड दीजिए। हमारा फोर्स है, मिलिटरी है, पुलिस है, दूसरे ग्रीर फोर्सेस हैं, उसी तरीके से आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है. ग्रगर उन सब को ग्रलाऊ कर दिया जाए कि ग्राप युनियन बना करके चलिए, तो कोई न कोई डिमाण्ड लेकर वह किसी न किसी समय जरूर खड़े रहेंगे ग्रीर एन मौके पर, जब देश को उनकी सब से बड़ी ग्रावश्यकता होगी, तो वह कहीं न कहीं हड़ताल या दूसरी चीज में खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा नकसान पहुंचा सकते

इसलिए यह जो बिल प्रोवाईड करता हैं कि इसमें किसी तरह की यूनियनवाजी नहीं होगी, मैं समझता हूं कि इसका तहे दिल से स्वागत हर किसी को करना चहिए।

एक बात और माननीय रेलवे मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना जाहना हू कि चोरी डर्फैनी या दूसरी चीजें कहां पर

श्री सखद व प्रशाद] भी हैं वह तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी तो उनके सिर पर इस कड़ाई

103

कै साथ ब्राप लागु करिये कि जहां पर ऐसे करणान होते हैं, उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में ग्रगर होते हैं, तो उन्हें कड़े से कडा दण्ड देने की व्यवस्था ग्राप करें। इससे अपराघों में कुछ कमी आएगी।

एक तो हमारेसाथी बार बार 21वीं सदीका जिक कर रहे हैं। मैं इसके बड़े डिटेल में तो नहीं जाना चाहत लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां दनिया ब्राज से सैकड़ों साल पहले हमसे आगे निकल गई है उसक मुकाबेले ग्रगर हमारा प्रधान मंत्री खड़ा होना चाहता है. जो तेजी के साथ अगर मल्क को बढ़ाना चाहता है और 21वीं सदी की बात करता है, तो कौनसी बराई वह करते हैं। उसमें अगर हम ग्रागे बढ़ते हैं, मुल्क को ग्रागे ले जाने की बात करते हैं, पीछें ले जाने की बात तो हम करते नहीं, 19वीं सदी में ले जाने की बात करते नहीं, तो यह कौनसा बड़ा अपराध हो गया है जिसको लेकर इस तरह का मजाक उड़ाया

तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें ग्रापको हाउस में नहीं लानी चाहिएं ग्रोर कम से कम हमारा मल्क आगे बढ़, यह तो किसी एक पार्टी का मल्क नहीं है और कल आपकी हकुमत हमारी हकमत है, किसी हो, ग्राज एक पार्टी की हक्मत- नहीं हैं और जरा भी मुल्क आगे बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा ग्रीर हिन्दस्तान देश आगे का नाम ऊंचा होगा। यह बार्बे बार बार छेड़ना कोई ग्रन्छी बात नहीं होती है।

मैं ब्रीर ब्रागे बातों को न लेकर . . .

भी सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश): माननीय सुखदेव प्रसाद जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। जिन माननीय सदस्य ने 20वीं सदी का मजाक उडाया होगा, उन बेचारों ने वाजिब उडाया होगा क्योंकि वह 16वीं शताब्दी में है और 🗸 वह वही रहना चाहते हैं।

by Ministers

· भी सुखदेब प्रसाद: धैर, मैं यह 🛖 वात तो नहीं कहता, लेकिन एक मैं जरूर करूंगा . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : ग्राखिर उन्होंने जम्प लिया है एक शताब्दी का . . . (व्यवधान)

श्री सखदेव प्रसाद : लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा ---इस बात को स्वीकार करेंगे . . (ध्यवधान)

उपसभाष्यक्ष श्रीममती कनक मृखर्जी: उनकों बीलने दीजिए।

भी सुखदेव प्रसाद : मैं इस बात के पचडे में नहीं पडना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहुंगा कि श्राप श्रीर दिनों की बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जब से माननीय रेलवे मंत्री जी ने चार्ज संभाला है, में समझता हूं कि शायद मेजर एक्सीडेंट रेलवे में उतने नहीं हुए हैं। जितने कि पहले कभी हुआ। करते थे। जिस तरह के चेंजेज प्राज हो रहे हैं जिस खूबीके साथ यह बढ़े रहें हैं मैं इस बात कें. लिए उनकी तारीफ करना चाहंगा और भविष्य में इस तरह से ग्रामें बढ़ते रहें झौर रेलवे का करण्यन ⊥श्राप दूर करके रहेंगे

शब्दों के साथ मैं प्रापके इस बिल का समर्थन करता ।

4 P.M.

STATEMENT BY, MINISTERS

I. Re. Review of Fiscal levies on Textiles

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP *> SINGH) : Madam Vice-Chairman, as the House, is aware, the Textile Policy statement of/1985 aims, inter alia, to increase the production of cloth of acceptable quality at reasonable rates. While cotton would